म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर

https://mpcci.in

अर्थवार्ता

मासिक पत्रिका

- आरएनआई/एमपीएचआईएन/1997/6965
- डाक पंजीकृत सं. ग्वालियर / 40020263/2023–25
- वर्ष : 26, अंक : 2
- माह : अगस्त 2023

AUGUST 2023

जीएसटी की जटिलताओं का संकलन-आयकर सर्वे व आयकर रेड पर 'चेम्बर भवन' में परिचर्चा आयोजित

जीएसटी की जटिलताओं का संकलन–आयकर सर्वे व आयकर रेड पर दिनांक 22 अगस्त,23 को 'चेम्बर भवन' में परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में जीएसटी विशेषज्ञ के रूप में सीए दीपक वाजपेयी एवं आयकर विशेषज्ञ के रूप में सीए अशोक विजयवर्गीय उपस्थित थे।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि जीएसटी 1 जुलाई,2017 को लागू हुआ था और उसमें अब तक 1000 हजार संशोधन हो चुके हैं। इसके बावजूद जीएसटी की जटिलताएँ बनी हुई हैं। हमारे द्वारा चेम्बर पड़ाव व चेम्बर संवाद के माध्यम से औद्योगिक एवं व्यवसायिक समस्याओं का संकलन किया जा रहा है और उनको संबंधित विभागों तक पहुँचाकर समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक बैठक में जीएसटी की जटिलताओं की बात आ रही थी, इसलिए एक मांग पत्र, जटिलता के हल के साथ बनाने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। इसी प्रकार आयकर सर्वे व रेड के संबंध में हमारे क्या अधिकार हैं, इस जानकारी से भी हम इस परिचर्चा में अवगत होंगे।

बैठक का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने कहा कि कार्यकारिणी समिति की बैठकों व चेम्बर संवाद के दौरान जीएसटी संबंधी परेशानियों की बात आ रही थी। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषयों पर यह परिचर्चा आयोजित की गई है, आशा है कि हम सभी इससे लाभांवित होंगे।

परिचर्चा में उपस्थित, श्री सुनील कुमार आनंद ने कहा कि जीएसटी आने से पूर्व हम लगभग 38% कर शासन को चुकाते थे। जीएसटी आने पर यह कर 6% रह गया था, जो कि अब बढ़कर 18% हो गया है। जीएसटी से हमें तो लाभ हुआ है, लेकिन ग्राहक को कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि कंपनियों ने उत्पाद के दाम बढ़ा दिए हैं।

श्री अनिल गुप्ता ने प्रश्न किया कि मेरा थोक दवाईयों का कारोबार है, यदि कोई ग्राहक दवा खरीदने के बाद कुछ दवा वापिस करने आता है, तो बिल में सुधार नहीं हो पाता है। यह कैसे किया जा सकता है ?

श्री आशीष अग्रवाल ने कहा कि रिवर्स चार्ज की प्रक्रिया को समाप्त किया जाना चाहिए। वहीं ई–इनवॉइस के लिए वर्तमान में 5 करोड़ टर्नओवर वाले व्यापारी के लिए है। इसे 2 करोड़ टर्नओवर वाले व्यापारी के लिए करने का प्रस्ताव है, जो नहीं होना चाहिए क्योंकि छोटे व्यापारी को काफी परेशानी आएगी। वह ई–इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाएँगे। वहीं 40 लाख तक जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन भ्रांति यह होती है कि फलां व्यापारी, व्यवसाय को नियमानुसार नहीं कर रहा है। इसलिए विभाग को यह प्रचार–प्रसार करना चाहिए कि 40 लाख से नीचे टर्नओवर वाले व्यवसायी जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं।

श्री अंकुर अग्रवाल ने कहा कि सर्वर में खराबी के कारण कभी–कभी ई–इनवॉइस नहीं बना पाते हैं, लेकिन माल को उसी दिन डिस्पेच करना होता है, ऐसी स्थिति में व्यापारी क्या करे। पर्चेज रिटर्न का जो इनवॉइस बनाने कई लोग गलत बताते हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए ?

पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव–श्री जगदीश मित्तल ने बताया कि स्टेट जीएसटी विभाग द्वारा पार्टियों को नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन उसमें न तो कोई सर्किल नंबर होता है और न ही कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यदि पार्टी नहीं पहुँच पाती तो एक्स पार्टी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद दुबारा से अपील करना होती है।

श्री आशीष जैन ने कहा कि विक्रेता द्वारा जीएसटी राशि को समय पर जमा नहीं कराया है, तो क्रेता पर कार्रवाई कैसे हो सकती है। वहीं प्रदेश के बाहर माल बेचने पर अब आईजीएसटी लगाने की बात आ रही है।

श्री विवेक बंसल ने कहा कि जब हम रिटर्न भरते हैं, तो जिस पार्टी से माल हमने लिया है और वह समय पर जीएसटी नहीं भरती हैं या अदा ही नहीं करती हैं, तो हमें उसका आईटीएसी नहीं मिल पाता है और हमें डबल टैक्स अदा करना पड़ता है। पहले तो बिल होने पर रिबेट मिल जाती थी, परंतु अब पोर्टल पर जब तक शो नहीं होगा, तब तक रिबेट नहीं मिल सकती है।

कुछ आयटम जीएसटी टैक्स फ्री हैं, लेकिन भाड़ा जीएसटी के तहत आ जाता है। वहीं यदि हमारा दो तरह का कारोबार है एक टैक्स फ्री व एक टैक्स सहित। तो हमने कोई पर्चेज तो आईटीसी क्लेम किया, तो वहाँ यह प्रोपेशनल देखा जाता है कि आपने टैक्स फ्री सेल कितनी की है, तो टैक्स सहित कितनी की है। उसके अनुसार आईटीसी दिया जाता है, यह नहीं होना चाहिए।

श्री रवि कुमार गर्ग ने कहा कि जीएसटी में एक हेल्पलाइन नंबर ऐसा होना चाहिए कि यदि जो क्वेरी व्यवसायी द्वारा पूछी जाए, उसका तुरंत समाधान होना चाहिए।

श्री महेन्द्र साहू ने पूछा कि 40 लाख तक टर्नओवर वालों के यहाँ भी क्या जीएसटी के सर्वे के लिए टीम जा सकती है।

मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने श्री राजेन्द्र जैन के व्हाट्सएप पर आए सवाल किया कि विक्रेता यदि जीएसटी रिटर्न नहीं भरता है या देरी से भरता है, तो पेनाल्टी क्रेता से क्यों ली जाती है। 2. यदि दुकानदार चैक लेकर सामान विक्रय करता है और चैक बाउंस हो जाता है, तो क्या जीएसटी वापिस होगी क्योंकि उसका पेमेंट खटाई में पड़ गया है। श्री अमित ने पूछा कि जीएसटी में सेल रिटर्न व पर्चेज रिटर्न की क्या प्रोसेस है ?

श्री नवीन अग्रवाल ने पूछा कि हमारा फिटिंग के सामान का कारोबार है। ग्राहक के माल ले जाने के बाद हमने तो जीएसटी जमा कर दी, लेकिन जब सामान कई बार साल भर बाद तक वापिस आता है, तो ग्राहक जीएसटी कटवाने के लिए तैयार नहीं होता है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए ?

टैक्स कंसल्टेंट्स, श्री आदित्य गंगवाल ने कहा कि पोस्ट सेल डिस्काउंट जो बाद में दिए जाते हैं। विभाग का सर्कुलर भी है कि इसमें टैक्स की लायबेलिटी नहीं है फिर भी व्यापारी के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी निकाली जा रही है। स्थानीय जीएसटी डिपार्टमेंट ऑडिट विंग द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

ई–वे बिल में छोटी सी गलती होने पर आगरा पर माल को अधिकारियों द्वारा अपना टारगेट पूरा करने के लिए पकड़ लिया जाता है, जबकि अपील में वह माल छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के हैरेसमेंट पर कार्यवाही होना चाहिए।

जीएसटी विशेषज्ञ, सीए दीपक वाजपेयी ने अपने उद्बोधन में कहा कि जीएसटी को आए हुए 6 साल हो गए हैं, लेकिन परेशानियों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। हर दिन कोई न कोई नियम आ जाता है, जिससे परेशानी बढ़ जाती है, जो समस्याएं आज बताई गई हैं, वह पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन विभाग ने यह माइंडसेट बना लिया है कि हम इस प्रकार ही कार्य करेंगे। आपने कहा कि जीएसटी की सारी प्रक्रिया ऑनलाईन है, यदि आपने टैक्स चुका दिया है और सामने वाले ने जमा नहीं किया है तो वह 2बी में नहीं दिखेगा। अब यह बात ऑनलाईन सिस्टम द्वारा अधिकारियों के संज्ञान में आती है कि ऐसा क्यों है तब अधिकारी आपसे पूछते हैं। यह सारी जानकारी आपके पोर्टल पर ही आती है। इसलिए अपने पोर्टल/ईमेल को 3–4 दिन में लगातार चैक करते रहें और यदि किसी ने टैक्स जमा नहीं किया है, तो आप उसे सेटल करा लें। यह आपको ही करना होगा। हाँ सरकार ने 31 दिसम्बर,2021 से पहले के मिसमैच के लिए राहत दी है। यदि इससे पूर्व का है, तो आप उसे सेटल करा सकते हैं। 5 लाख तक है, तो आप बिल दिखाकर करा सकते हैं। इससे ज्यादा का है, तो सीए का सर्टिफिकेट लेकर जाएँगे, तो आपको आईटीसी मिल सकता है। आपने बताया कि माल बेचने पर टैक्स इनवॉइस बनाना है। क्रेता की ओर से कोई नोट नहीं डाला जाएगा। माल वापिसी पर सप्लायर ही इसका करेक्शन कर सकता है। माल का विक्रय करने पर पार्टी से पैसा मिले या न मिले आपको टैक्स देना होगा। 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आने पर आपको विभाग को अवगत कराना होगा। ई–इनवॉयस की लिमिट 5 करोड़ से नीचे नहीं की जाना चाहिए। पोस्ट सेल डिस्काउंट पर हमें विभाग को लिखना चाहिए।

आयकर सर्वे व आयकर रेड पर सीए अशोक विजयवर्गीय ने बताया कि यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर रहे हैं, तो हमें अपने अधिकार स्वयं ही मिल जाते हैं। आपने कहा कि सर्वे व सर्च को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। सर्वे सीमित है ओर सर्च असीमित। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि करदाता ने विभाग को सही टैक्स दिया है या नहीं। आपने कहा कि यदि करदाता अपनी आय को उचित दर्शाता है, तो सर्वे व सर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विभाग आपके एकाउंट्स देखने के बाद ही यह कार्यवाही करते हैं। आपने बताया कि सर्वे की कार्यवाही आपके प्रतिष्ठान में होती है, जो कि आपके कार्यालयीन समय व दिवस पर ही की जा सकती है। यदि आप अपना कुछ कार्य घर पर भी करते हैं, तो फिर सर्वे सर्च में बदल सकता है। आप यदि अपने घर के किसी भाग में व्यवसायिक गतिविधि करते हैं, तो उस पर नेम प्लेट जरूर लगाएँ। सर्वे व सर्च के दौरान आपके अधिकार हैं कि आपके जो दस्तावेज आयकर अधिकारी ले जा रहे हैं, उनकी प्रतिलिपि आप उनसे ले सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपने कर सलाहकार को इस दौरान आमंत्रित कर सकते हैं। सर्वे व सर्च के दौरान जो आय व संपत्ति आपके यहाँ मिली है उसका सोर्स आप बता देते हैं, तो इस पर 30% टैक्स आरोपित किया जाता है और यदि आप नहीं बता पाते हैं, तो फिर 78% टैक्स व पेनाल्टी देना होती है। आपने बताया कि कार्यवाही के दौरान आपके यहाँ सोना पाया जाता है, तो 500 ग्राम सोना विवाहित महिला के लिए, 250 ग्राम अविवाहित महिला एवं 100 ग्राम पुरूष के लिए रखे जाने का मापदंड है। यदि इससे अधिक पाया जाता है, तो यदि आपने वर्ष 2016–17 तक वेल्थ रिटर्न में सोना दर्शाया है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देय होगा।

परिचर्चा के अंत में आभार प्रदर्शन, मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया। परिचर्चा में पूर्व कोषाध्यक्ष–श्री सुरेश बंसल सहित सीए गजेन्द्र जैन, सीए विमल अग्रवाल, सीए राजेन्द्र खटवानी, सीए अमित अग्रवाल, सीए मयूर गर्ग, सीए शकुंत सोमानी, सीए निशा गंगवाल, कर सलाहकार–श्री पंकज गोयल सहित कार्यकारिणी समिति सदस्यगण व सदस्यगण उपस्थित थे।

'चेम्बर संवाद' के तहत समूह क्रमांक-8 एवं समूह क्रमांक-9 की बैठक आयोजित

'चेम्बर संवाद' के अन्तर्गत दिनांक 05 अगस्त,23 को समूह क्रमांक-8 (शक्कर व्यवसाय) एवं समूह क्रमांक-9 (तेल, तिलहन एवं बेजीटेबल व्यवसाय) की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि व्यापार व उद्योग की समस्याओं का संकलन नवीन टीम द्वारा किया जा रहा है। व्यापार की समस्याओं के संकलन के उद्देश्य से समूहवार बैठकों के लिए 'चेम्बर संवाद' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आपने कहा कि आप अपने व्यापार में जिन चुनौतियों/समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं, उनसे चेम्बर को भी अवगत कराएँ, आपसे प्राप्त समस्याओं पर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा।

बैठक का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल ने कहा कि नवीन टीम द्वारा दो नवाचार 'पड़ाव चेम्बर' औद्योगिक समस्याओं के लिए तथा व्यापारिक समस्याओं के लिए 'चेम्बर संवाद' प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य आपसे प्राप्त समस्याओं/सुझावों पर तेजी से कार्य करना है। आपसे प्राप्त समस्याओं को लॉंग टर्म और शार्ट टर्म समस्याओं के रूप में विभक्त कर, कार्यवाही की जाएगी।

पूर्व कोषाध्यक्ष-गोकुल बंसल ने कहा कि दाल बाजार के अंतर्गत चेम्बर के समूह क्रमांक-5, 6, 7, 8 एवं 9 के अधिकांश सदस्य आते हैं। आपने सभी के साथ बैठक की है, अब व्यापार समिति को पहले सभी समस्याओं पर दाल बाजार में बैठक बुलाना चाहिए, फिर तय किए गए सभी बिन्दुओं पर चेम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक करना चाहिए।

इस अवसर पर कार्यकारिणी समिति सदस्य-श्री जितेन्द्र बंसल, श्री राजेन्द्र सिंघल, श्री जगदीश खेमानी, श्री महेन्द्र कुमार साहू, श्री लोकेश अग्रवाल एवं श्री कृष्ण बिहारी अग्रवाल ने दाल बाजार से संबंधित विभिन्न समस्याएँ बैठक में प्रस्तुत की।

बैठक में सदस्य-श्री गोविंद राय सिंह एवं श्री सुरेशचंद गुप्ता ने दाल बाजार की यातायात संबंधी समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही, श्री राजेश बांदिल (मनीष) ने प्रोफेशनल टैक्स को समाप्त कराने की माँग रखी। इस अवसर पर दाल बाजार व्यापार समिति के अध्यक्ष-श्री दिलीप पंजवानी ने चेम्बर संवाद को एक सराहनीय प्रयास बताया।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में प्राप्त समस्याओं/सुझावों पर कहा कि प्राप्त समस्याओं के निदान के लिए चेम्बर सक्रिय रूप से कार्य करेगा। आपने कहा कि फूड सेम्पल भरने की कार्यवाही से व्यापारियों को जागरूक करने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। दाल बाजार में कानून-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर, कार्यवाही कराई जाएगी। वहीं प्रोफे शनल टैक्स की समाप्ति के लिए पुन: प्रयास किया जाएगा। नवीन दाल बाजार के लिए भूमि चिन्हित किए जाने के लिए व्यापार समिति दाल बाजार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर त्वरित गति से कार्य किया जाएगा।

बैठक के अंत में उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल द्वारा सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। बैठक में कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल सहित सर्वश्री प्रकाश डिगवानी, श्यामसुंदर खत्री, श्याम बंसल, ग्यासीराम गुप्ता, मुरलीधरजी, राजेन्द्र साहू, सीताराम धाकड़, महेश काकवानी, अमित अग्रवाल, राहुल गुप्ता सहित काफी संख्या में व्यवसायी उपस्थित थे।

'चेम्बर संवाद' के तहत समूह क्रमांक-10 एवं समूह क्रमांक-11 की बैठक आयोजित

म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की नवीन टीम द्वारा व्यापार जगत की समस्याओं का संकलन करने के उद्देश्य से समूहवार बैठकों का आयोजन 'चेम्बर संवाद' के रूप में प्रारंभ किया गया है । समूह क्रमांक–10 (थोक सोना–चांदी व्यवसाय) एवं समूह क्रमांक–11 (खेरीज सोना–चांदी व्यवसाय) की बैठक 'चेम्बर भवन' में दिनांक 8 अगस्त,23 को आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे, अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने अपने उद्‌बोधन में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी टीम द्वारा नवाचार के रूप में व्यापार व उद्योग की समस्याओं का संकलन करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। व्यापारिक समस्याओं के संकलन के उद्देश्य से समूहवार बैठके 'चेम्बर संवाद' के रूप में आयोजित की जा रही हैं । वहीं उद्योगपतियों की समस्याओं के लिए 'पड़ाव चेम्बर' किया जा रहा है । आपने कहा कि हर व्यापार की समस्याएँ अलग–अलग होती हैं, इसलिए यह बैठकें की जा रही हैं । सर्राफा व्यवसाय से संबंधित जो समस्याएँ व सुझाव आज की बैठक में प्राप्त होंगे, उन पर हम निरंतर कार्य करेंगे ।

बैठक का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने कहा कि हमारी टीम किस प्रकार से व्यापार–उद्योग के लिए त्वरित गति से कार्य करे, इस पर मंथन कर यह बैठकें प्रारंभ की गईं हैं । चेम्बर संवाद का मूल उद्देश्य आपकी समस्याओं को एकत्रित कर, उन पर कार्यवाही करना है । आपके द्वारा हॉलमार्क पर ज्वेलर्स जागरूकता कार्यक्रम करने की मांग की गई थी । वह विगत् 11 जुलाई को किया जा चुका है । आपके सुझावों से हमें कार्य करने की दिशा मिलती है ।

बैठक में पूर्व उपाध्यक्ष–श्री पारस जैन, कार्यकारिणी सदस्यगण–सर्वश्री अभिषेक गोयल (सन्नी), अजित जैन ने सर्राफा व्यवसायियों की कॉमन समस्याएँ प्रस्तुत कीं । श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग, श्री दीपेश अग्रवाल, श्री रवि जैन एवं श्री दीपक जैन ने सराफा बाजार में पार्किंग एवं ट्रेफिक की समस्या से अवगत कराया तथा इसके निदान की माँग की ।

सर्राफा संघ लश्कर के अध्यक्ष–श्री पुरूषोत्तम जैन द्वारा धारा–411 एवं 412, हुण्डी, फ्रॉड लेन–देन की समस्या बताई। सर्राफा संघ मुरार के अध्यक्ष–श्री हरिओम गांगिल ने अतिक्रमण के कारण व्यापार चौपट होने की समस्या से अवगत कराया । सर्राफा संघ उपनगर ग्वालियर के अध्यक्ष–श्री जवाहर जैन ने कहाकि कई व्यापारी ऑनलाइन कार्यों को नहीं कर पाते हैं, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किए जाने की बात कही । इसी के साथ बैठक में सर्वश्री राजेन्द्र जैन, आलोक जैन, प्रेमनारायण अग्रवाल आदि ने भी अपने विचार रखे ।

अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने बैठक में प्राप्त समस्याओं/सुझावों पर कहा कि प्राप्त समस्याओं के निदान के लिए चेम्बर सक्रिय रूप से कार्य करेगा । आपने कहा कि धारा–411 व 412 की समस्या के निदान के लिए हमें ज्वेलरी विक्रय करने वाले के पहचान–पत्र व उसकी संपूर्ण जानकारी अपने पास रखना चाहिए । साथ ही, उसको पेमेंट चैक से दें, इससे व्यापारी सुरक्षित रह सकते हैं ।

बैठक के अंत में, उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल द्वारा सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया । बैठक में मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल सहित सदस्य, सर्वश्री महेश कुमार जैन, संजय जैन, विमलचंद जैन, हेमंत कुमार जैन, नारायण बृजवासी, ऋषभ कोठारी, अंकित जैन, दिनेश अग्रवाल, नवीन मित्तल, भरत कुमार सुखीजा, उधवदास, गोविंद खण्डेलवाल, आशीष जौहरी, अनंत जैन, उमेशचंद्र गोयल, अशोक गुप्ता, रामकुमार, दिव्यांश अग्रवाल, महेश सुखीजा, पवन सोनी, मुकेश स्वर्णकार आदि उपस्थित थे ।

'चेम्बर संवाद' के तहत समूह क्रमांक-12, 13 एवं 14 की बैठक आयोजित

समूह क्रमांक–12 (विद्युत व्यवसाय), समूह क्रमांक–13 (इलेक्ट्रिक उपकरण व्यवसाय) एवं समूह क्रमांक–14 (कम्प्यूटर, मोबाइल व्यवसाय) की बैठक दिनांक 29 अगस्त, 23 को 'चेम्बर भवन' में आयोजित हुई।

उपरोक्त तीनों समूहों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे, अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल द्वारा अपने उद्बोधन में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी टीम द्वारा नवाचार के रूप में व्यापार व उद्योग की समस्याओं का संकलन करने के उद्देश्य से समूहवार बैठकों के लिए 'चेम्बर संवाद' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वहीं उद्योगपतियों की समस्याओं के लिए 'पड़ाव चेम्बर' किया जा रहा है। आपने कहा कि प्रत्येक व्यापार की समस्याएँ अलग–अलग होती हैं, इसलिए इन बैठकों का आयोजन किया जा ररह है। इन बैठकों के माध्यम से ही प्रोफेशनल टैक्स व माधव प्लाजा जैसे मुद्दों पर हमने कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। आज की बैठक में जो आपके द्वारा जिन समस्याओं से अवगत कराया जाएगा, उन पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

बैठक का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने कहा कि आज के युग में व्यापारियों को संगठित होने की बहुत आवश्यकता है। एक ओर जहाँ सरकारें सभी वर्ग का विशेष ध्यान रख रही हैं, वही व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कई वर्षों में भी नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए गारबेज शुल्क, जिसमें दो वर्ष से अधिक समय से व्यापारी संघर्ष कर रहे हैं लेकिन निराकरण नहीं हुआ है। बाड़े के व्यापार की स्थिति भी दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। इसलिए इस प्रकार के आयोजनों से व्यापारी संगठित होकर अपनी बात शासन–प्रशासन के समक्ष रखेंगे, तभी किसी समस्या का हल संभव है।

इस अवसर पर मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल द्वारा ऑनलाइन व्यापार की शुरूआत के बारे में बताते हुए कहा कि यह सुविधा विकलांगों के लिए सर्वप्रथम अमेरिका में प्रारंभ की गई थी। हम ग्राहक को इस बारें में जागरूक करें और उन्हें उत्पाद को फिजिकली जांच–परख कर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें।

साथ ही, इस अवसर पर कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल ने सदस्यों को आपस में कॉर्डिनेशन के लिए चेम्बर भवन में बैठक करने का सुझाव दिया।

बैठक में समूह क्रमांक–12 से कार्यकारिणी समिति सदस्य–श्री अनिल कुमार आनंद एवं श्री आशीष अग्रवाल ने कहा कि सभी व्यवसायी उद्योग आधार व जैम पोर्टल में पंजीयन कराएँ क्योंकि सरकार अपनी खरीदी का 25% भाग जैम पोर्टल पर पंजीकृत व्यवसायियों से ही खरीदती है।

समूह क्रमांक–13 से कार्यकारिणी समिति सदस्य–श्री राधामोहन गुप्ता ने कहा कि इलेक्ट्रोनिक बिजनिस भी ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा है। लोग आजकल ई–मार्केट से खरीददारी करते हैं। इसलिए हमें भी अपने उत्पादों की रील्स बनाकर प्रचार–प्रसार करना चाहिए।

समूह क्रमांक–14 से कार्यकारिणी समिति सदस्य–श्री विकास अग्रवाल एवं श्री आलोक आहूजा ने जैम पोर्टल जैसी सुविधा के बारे में व्यापारियों को अवगत कराने की बात कही। इस अवसर पर सदस्य–श्री अभय गर्ग, श्री मनोज गुप्ता, श्री संजय कुमार जैन, श्री संजय अग्रवाल, श्री धर्मेन्द्र कुमार गोयल, श्री राजीव वैश्य, श्री दीपक वाजपेयी, श्री पवन जैन, श्री विष्णु कुमार सिंघल एवं श्री मनोज आदि ने भी अपने विचार रखे।

बैठक के अंत में उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल द्वारा सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया।

अगस्त, 2023 के महत्वपूर्ण प्रयास...

- सीईओ, ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.–श्रीमती नीतू माथुर को पत्र प्रेषित कर, महाराज बाड़ा के सौंदर्यीकरण कार्यों की कछुआ चाल पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, बाड़ा क्षेत्र में एक बार में एक तरफ के सारे विकास कार्य पहले पूर्ण करने के पश्चात् ही दूसरी ओर के विकास कार्य प्रारम्भ करने की माँग की गई।
- चेयरमैन, भारतीय रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर–दौंड सुपरफास्ट (22194/22193) ट्रेन को सप्ताह में प्रतिदिन अथवा कम से कम 03 दिवस संचालित किए जाने तथा इस ट्रेन की औसत गति बढ़ाए जाने की माँग की गई।
- आयुक्त, नगर–निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, शहर के खस्ताहाल मार्गों को 15 दिवस के अंदर निर्माण किए जाने की माँग की गई। यदि खस्ताहाल मार्गों को सही नहीं किए जाने पर, आंदोलन की रूपरेखा बनाने का उल्लेख किया गया।
- केन्द्रीय ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार–माननीय श्री आर. के. सिंह जी को पक्ष प्रेषित कर, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी दिए जाने की माँग की गई।
- क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर संचालित पार्किंग में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर उचित कार्यवाही किए जाने की माँग की गई।
- आयुक्त, नगर–निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, नगर–निगम, ग्वालियर द्वारा विज्ञापन एजेंसी को सौंपे गए कार्य में स्थानीय लोगों द्वारा अवरोध उत्पन्न करने की समस्या पर उचित कार्यवाही किए जाने की माँग की गई।
- केन्द्रीय रेल मंत्री, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर/भिण्ड–रतलाम एक्सप्रेस के कंडम कोच को बदले जाने एवं इसकी औसत गति को बढ़ाए जाने की माँग की गई।
- केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री–माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र प्रेषित कर, केन्द्रीय रक्षा मंत्री–माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री–माननीय श्री नितिन गड़करी, केन्द्रीय आई.टी. एवं रेल मंत्री–माननीय श्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय कपड़ा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री–माननीय श्री पीयूष गोयल एवं केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री–माननीया श्रीमती स्मिता ईरानी से चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मण्डल को नई दिल्ली में भेंट कराने हेतु, समय उपलब्ध कराने की माँग की गई।
- केन्द्रीय रेल मंत्री, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर, ट्रेन नं. 22404/22403 (नई दिल्ली–पुडुचेरी एक्सप्रेस) का ठहराव ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध कराए जाने की माँग की गई है।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला–ग्वालियर, आयुक्त, नगर–निगम, ग्वालियर, सीईओ, ग्वालियर स्मार्ट, ग्वालियर सहित अपर आयुक्त, ग्वालियर जोन–1, राज्य कर (जीएसटी), ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, 'चेम्बर भवन' में बैठक आयोजित करने की माँग की गई।
- केन्द्रीय रेल मंत्री, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर, झाँसी–इटावा–झाँसी एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 11903/11904) का ठहराव सोनागिर रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध कराए जाने की माँग की गई।
- केन्द्रीय कार्पोरेट मामलों की मंत्री–माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री–श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री–माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं सांसद, माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर को पत्र प्रेषित कर, आरओसी ऑफिस को ग्वालियर से इन्दौर शिफ्ट किए जाने के प्रयासों को तत्काल रोके जाने की माँग की गई।
- मुख्यमंत्री, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री–माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री–श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र प्रेषित कर, प्रोफे शनल टैक्स की समाप्ति एवं डीआईसी एवं एमपीआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों को सम्पत्ति कर के अतिरिक्त भार से दूर किए जाने की माँग की गई।
- मुख्यमंत्री, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री–श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री–माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री–माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री–माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं सांसद–माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा 13 वर्ष पुरानी योजना 'माधव प्लाजा' में अपनी गलती निवेशकों पर थोपने एवं ब्याज की राशि माफ कर, व्यवसाईयों को राहत प्रदान करने की माँग की गई।
- आयुक्त, जीएसटी विभाग, इन्दौर को पत्र प्रेषित कर, सोना एवं कीमती पत्थरों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए ई–वे बिल अनिवार्य किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी करने की माँग की गई।
- मुख्यमंत्री, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री–श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय कृषि एवं

अगस्त, 2023 के महत्वपूर्ण प्रयास...

किसान कल्याण मंत्री–माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं सांसद, माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर को पत्र प्रेषित कर, आजादी के पूर्व बँटवारे के दौरान पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत से विस्थापित किए गए, सिंधी समाज के लोगों को उनके जीवन–यापन हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गईं दुकानों का मालिकाना हक दिए जाने की माँग की गई।

- केन्द्रीय रेलमंत्री–माननीय श्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री–श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री–माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं सांसद–माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर सभी यात्री गाड़ियों का ठहराव कम से कम 05 मिनट किए जाने की माँग की गई।
- पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) को पत्र प्रेषित कर, बहौड़ापुर तिराहे पर ट्रेफिक सिग्नल लगाए जाने की माँग की गई है।
- केन्द्रीय रेलमंत्री–माननीय श्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री–श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री–माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं सांसद–माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर–भिण्ड–इटावा रेलवे ट्रेक पर ट्रेन नं. 22199/22200, ट्रेन नं. 15045/15046, ट्रेन नं. 19053/19054 एवं ट्रेन नं. 11124/11123 का संचालन व्हाया ग्वालियर–भिण्ड–इटावा किए जाने की माँग की गई।
- मुख्यमंत्री–माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान एवं जल संसाधन मंत्री व प्रभारी मंत्री, जिला–ग्वालियर, माननीय श्री तुलसी सिलावट को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर में 'फूड लैब' का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराकर, इसे प्रारम्भ कराए जाने की माँग की गई।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित कर, खाद्य पदार्थ इकाईयों को वर्ष 2022–23 की बैलेंसशीट जमा करने की अवधि 15 सितम्बर, 23 तक बढ़ाए जाने की माँग की गई।
- केन्द्रीय संचार मंत्री–माननीय श्री अश्विनी वैष्णव एवं महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लि., ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, लैंडलाईन फोन उपभोक्ताओं की शिकायतों/परेशानियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर, उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान की माँग की गई।
- केन्द्रीय रेलमंत्री–माननीय श्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री–श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री–माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं सांसद–माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर–दौंड सुपरफास्ट (ट्रेन नं. 22194/22193) की औसत गति बढ़ाए जाने एवं ग्वालियर–अयोध्या के मध्य नवीन ट्रेन संचालित किए जाने की माँग की गई।

MPCCI के प्रयासों को मिली सफलता

ग्वालियर/भिण्ड-रतलाम एक्सप्रेस का संचालन एलएचबी रैक के साथ प्रारम्भ

म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा लगातार ग्वालियर/भिण्ड–रतलाम एसप्रेस (11126–11125/21126–21125) ट्रेन का रैक जो कि काफी पुराना व कंडम हो चुका था। इसके कारण यात्रियों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए, रैक बदले जाने की माँग चेम्बर द्वारा केन्द्रीय रेलमंत्री–माननीय श्री अश्विनी वैष्णव से की जा रही थी।

रेलवे बोर्ड द्वारा चेम्बर ऑफ कॉमर्स की माँग को स्वीकार करते हुए, उक्त ट्रेन को दिनांक 25 अगस्त, 23 से एलएचबी रैक के साथ संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया और अब यह ट्रेन एलएचबी रैक के साथ संचालित हो रही है।

इस सफलता पर संस्था के पदाधिकारियों ने हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, केन्द्रीय रेलमंत्री–माननीय श्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री–श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री–माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं सांसद, माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर सहित रेलवे बोर्ड के चेयरमैन/सीईओ–श्री अनिल कुमार लाहोटी के प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया गया। रेलवे बोर्ड के इस निर्णय से यात्रियों को जो परेशानी यात्रा के दौरान हो रही थी, उससे अब अवश्य ही राहत मिलेगी।

77वें 'स्वतंत्रता दिवस' के अवसर पर अध्यक्ष, डॉ. प्रवीण अग्रवाल द्वारा 'चेम्बर भवन' पर किया गया 'ध्वजारोहण'

77वें 'स्वतंत्रता दिवस' के पावन अवसर पर 'चेम्बर भवन' पर अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल द्वारा 'ध्वजारोहण' किया गया। इस अवसर पर संयुक्त अध्यक्ष–हेमन्त गुप्ता, उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल उपस्थित थे। ध्वजारोण के उपरान्त उपस्थित महानुभावों द्वारा राष्ट्रीय गान का गायन किया गया। साथ ही, इससे पूर्व उपस्थित सभी महानुभावों को पदाधिकारियों द्वारा तिरंगे रंग के दुपट्टे पहनाकर, स्वागत् किया गया।

इस अवसर पर अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में उपस्थित सभी सदस्य महानुभावों को सबसे पहले अपनी ओर तथा अपने साथी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

आपने इस अवसर पर कहा कि आज हम उन हजारों वीर सपूतों को सबसे पहले नमन करेंगे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आज ही के दिन सन् 1947 में हमें अंग्रेजो की गुलामी से स्वतंत्रत कराया था। आजादी के बाद जिन शहीदों ने इस देश की आजादी को अक्षुण बनाए रखने में अपना योगदान दिया, ऐसे अमर शहीदों का भी आपने उल्लेख करते हुए, दो उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनमें भारतीय सेना के गोरखा राइफल के केप्टन स्व. श्री मनोज पाण्डे, जिन्हें वीर गति को प्राप्त होने के उपरांत परमवीर चक्र से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया तथा दूसरे ग्वालियर के सपूत केप्टन स्व. श्री उपमन्यू सिंह, जो कि काश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए, माँ भारती की गोद में वीर गति को प्राप्त हुए। आपने कहाकि जिस ईस्ट इंडिया कं. ने हमें गुलाम बनाया था, उस कं. को भारतवंशी, श्री संजीव मेहता द्वारा खरीद कर, संचालित किया जा रहा है। इतना ही नहीं आज भारत आर्थिक रूप से ब्रिटेन को पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है।

इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने उपस्थित सभी महानुभावों के इस पावन अवसर पर पधारने पर अपनी ओर से एवं अपने साथी पदाधिकारियों की ओर से सभी का अभिवादन किया एवं 77वें 'स्वतंत्रता दिवस' की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि जैसा कि हम सभी को पता है कि आज ही के दिन, सन्–1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और आज हम गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर, स्वतंत्र रूप में अपनी 'भारत माता' की गोद में अपना कारोबर करके, देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं। आपने कहाकि हमें, अपने दैनिक क्रियाकलापों के साथ–साथ सदैव यह भी याद रखना चाहिए कि आज हम जिस स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन–यापन कर रहे हैं। इस 'स्वतंत्रता' के लिए हमारे लाखों वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहूति देकर, हमें आज स्वतन्त्र भारत में सांस लेने का अवसर दिया है। आज के दिन हमें अपने सभी वीर जवानों एवं अमर क्रांतिकारियों को सादर नमन करना चाहिए, जिनके बलिदान के कारण ही हम आज स्वतंत्र हैं।

कार्यक्रम के अंत में आभार, कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष–डॉ. वीरेन्द्र कुमार गंगवाल, पूर्व उपाध्यक्ष–श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, श्री आर. के. खेतान एवं श्री पारस जैन पूर्व कोषाध्यक्ष–वसंत अग्रवाल सहित कार्यकारिणी समिति के काफी संख्या में सदस्य महानुभाव एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

प्रेषक : स्वामी म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के लिए प्रकाशक, दीपक अग्रवाल द्वारा ग्राफिक्स वर्ल्ड, ग्वालियर से डिजाइन तथा 'चेम्बर भवन', एस.डी.एम. मार्ग, ग्वालियर से प्रकाशित. संपादक–दीपक अग्रवाल, दूरभाष–2371691,2632916,2382917